(2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन – श्री छत्रपाल चौधरी (आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 09 / 2023 / अपील

उनवान

1. देवासबाई पुत्री चन्दरसिंह जाति सोंधिया नि. आदाखेडी तहसील पिडावा
2. लीलाबाई पुत्री चन्दरसिंह जाति सोंधिया नि. आदाखेडी तहसील पिडावा

--- अपीलांटस

बनाम

1. ग्राम पंचायत रामपुरिया पंचायत समिति पिडावा मु0सुनेल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा

--- रेस्पोडेन्टस

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 26.01.2008 नामा.सं. 498

ग्राम पंचायत रामपुरिया

उपस्थिति – वकील अपीलांटस – श्री महेन्द्रसिंह जैन

आदेश · दिनांक : 26/07/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने ग्राम पंचायत रामपुरिया द्वारा निर्णित नामा.सं. 498 दिनांक 26.01.2008 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम आदाखेडी की खाता सं. 206 की आराजी ख.नं. 764, खाता सं. 207 की आराजी ख.नं. 766 एवं खाता सं. 55 के ख.नं. 353, 391, 392, 393 के संबंध में मृतक खातेदार चन्दरसिंह की मृत्यु उपरांत दर्ज किये गये नामा.सं. 498 में मृतक चन्दरसिंह के वारीसान अपीलांटस देवासबाई के स्थान पर देवबाई एवं लीलाबाई के स्थान पर कलाबाई दर्ज कर दिया जो कि अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रामपुरिया द्वारा बिना तहकीकात किये एवं बिना अपीलांटस को सुने किया जो कि निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रामपुरिया द्वारा विधि एवं कानूनी प्रकिया तथा विधिक प्रावधानों के विरूद्ध निर्णय पारित किया जो कि निरस्त योग्य है। मृतक खातेदार चन्दरसिंह के वैध वारीसान निम्नानुसार है –

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

COURT 2024

मगनीराम मृत

पुत्र	पुत्रियां	पत्नी
मांगीलाल	अमरीबाई	गंगाबाई मृत
	रेखाबाई	
	लीलाबाई	
	देवासबाई	

अपीलांटस अपने ससुराल में रहती है जिससे नामान्तरण के संबंध में जानकारी नहीं रही है। अपीलांटस को उक्त नामा. की जानकारी दिनांक 12.06.2023 को हुई इसके पश्चात अपीलांटस द्वारा बिना देरी किये धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना के साथ अपील पेश की। अपीलांटस का उनके आधारकार्ड, जनाधार कार्ड में सही नाम देवासबाई व लीलाबाई दर्ज हो रहा है।

अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत रामपुरिया का आदेश नामा.सं. 498 दिनांक 26.01.2008 को निरस्त कर सही नामा. दर्ज करने के आदेश प्रदान किया जावे। अपील के साथ ग्राम आदाखेडी के नामा.सं. 498 की प्रति, जमाबंदी सं. 2061–64 के खाता सं. 149 की नकल, जमाबंदी सं. 2073–78 के खाता सं. 206, 207, 65 की नकल, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, आधारकार्ड की छायाप्रतियां पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टसं. 1 की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं हुआ।

वकील अपीलांटस की बहस सुनी गई। वकील अपीलांटस द्वारा दौराने बहस अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रामपुरिया द्वारा पारित आदेश नामा सं. 498 दिनांक 26.01.2008 को निरस्त करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रामपुरिया द्वारा दिनांक 26.01.2008 को नामा. सं. 498 में पारित आदेश जारी करते समय बिना तहकीकात किये एवं बिना अपीलांटस को सुने निर्णय पारित किया है जिसमें अपीलांटस का सही नाम दर्ज नहीं कर भारी भूल की है।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

आदेश

अतः प्रस्तुत अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर ग्राम आदाखेडी की खाता सं. 206 की आराजी ख.नं. 764, खाता सं. 207 की आराजी ख.नं. 766 एवं खाता सं. 55 की आराजी ख.नं. 353, 391, 392, 393 के संबंध में मृतक खातेदार चन्दरसिंह की मृत्यु उपरांत दर्ज किये गये नामा.सं. 498 में आदेश दि. 26.01.2008 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार पिडावा को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश जारी नहीं हो तो मृतक खातेदार चन्दरसिंह के वैध वारीसान की समुचित जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(छत्रपाल चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner